

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सरायमीर

पुलिस मुठभेड के दौरान शातिर चोरो के गिरोह के दो सदस्य चोरी किये गये 10 अदद मोटर पम्प, चार एम्पलीफायर मशीन आदि व तमन्चा कारतूस व चाकू के साथ गिरफ्तार-

दिनांक 28.6.2021 की रात में चोरी गयी मोटरपम्प के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 94/21 धारा 457/380 IPC के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर से प्राप्त निर्देश के क्रम में सम्बन्धित /माल/अभियुक्त की गिरफ्तारी / बरामदगी हेतु थाना स्थानीय से गठित टीम द्वारा दिनांक 3/4.07.2021 की रात में गश्त के दौरान मुखबिरी सूचना पर अपराधियों की घेराबन्दी की गयी जिस पर अपराधियों द्वारा तमंचे व चाकू से पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया गया पुलिस पार्टी द्वारा अपने को बचाते हुए दो अपराधियों को समय 4.10 बजे सुबह डेमरी मोड़ से गिरफ्तार किया गया. जिनके पास से एक अदद तमंचा एक जिन्दा व एक खोखा कारतूस तथा एक अदद चाकू बरामद किया गया एवं उनसे कड़ाई से पूछताछ पर इनकी निशा नदेही पर 07 अदद पम्प मोटर, 02 अदद बिजली मोटर, 01 अदद टुल्लू मोटर, व 04 अदद एम्पलीफायर मशीन बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अपराधियों द्वारा बताया गया कि हम लोगो का एक गिरोह है जो सुनसान ट्युबेलो से मोटर पम्प मंदिरों से घंटे व दान पेट्टी तथा मस्जिदों से एम्पलीफायर आदि चोरी करके सैकड़ों की संख्या में कबाडियों को बेच चुके हैं, हम लोगो के अलावा दो अन्य साथी भी हैं जो साइकिल लेने गये हैं उन्ही का हम लोग इन्तजार कर रहे हैं इनके आने पर इन मोटरों को साइकिल पर लादकर बेचने के लिए ले जाते जिनका नाम -बिलास वनवासी पुत्र ललसू सा० कैथौली थाना दीदारगंज जिला आजमगढ़, राजेश उर्फ नोना पुत्र सत्ते सा० कैथौली थाना दीदारगंज जिला आजमगढ़ है सभी घटनाएँ हम चारो लोगो ने मिलकर किया है चोरी के सामान बेचकर आपस में बाट लेते हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. गोविन्दा वनवासी पुत्र सूरजबली सा० इब्राहिमपुर अम्बारी थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ व हाल पता कैथौली थाना दीदारगंज जिला आजमगढ़

2. प्रकाश वनवासी उर्फ प्रसाद पुत्र शोभनाथ उर्फ शोभई सा० कैथौली थाना दीदारगंज जिला आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर एक अदद जिन्दा कारतूस व एक अदद 315 बोर का खोखा राउंड व एक अदद चाकू

2. चोरी की 07 अदद पम्प मोटर, 02 अदद बिजली मोटर, 01 अदद टुल्लू मोटर। कुल 10 मोटर व चार अदद एम्पलीफायर मशीन

पंजीकृत अपराध -

1. मु०अ०सं० 94/21 धारा 380/457 /411/413/414 भादवि थाना सरायमीर आजमगढ़

2. मु०अ०सं०- 95/21 धारा -307 IPC थाना सरायमीर आजमगढ़

3. मु०अ०सं०- 96/21 धारा -3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़

4. मु०अ०सं०- 97/21 धारा -4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़

पूर्व का अपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०सं० -103/2020 धारा -457/380 IPC थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

2. मु०अ०सं० -162/2020 धारा -457/380/411 IPC थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. व०उ०नि० शमशेर यादव

2. उ०नि० रामप्रसाद यादव थाना सरायमीर आजमगढ़

3. हे०का० हे०का० हरबंश सिंह

4. हे०का० रामअवध आजाद

5. हे०का० विहंगल यादव

6. का० रत्नेश प्रसाद

7. का० मिथुन प्रसाद

